ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

गैत्रो देवी पुत्री श्री तारू, गांव व डाकघर चकलू, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
.. वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा . प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारा।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदया चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 1692/2024 दिनांक 22–04–2024 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/9070, दिनांक 19–04–2024, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (6) आधार कार्ड, (7) परिवार रजिस्टर नकल जिसमें आवेदिका गैत्रो देवी पुत्री श्री तारू, गांव व डाकघर चकलू, ग्राम पंचायत चकलू, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामतयः पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका गैत्रो देवी पुत्री श्री तारू, गांव व डाकघर चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुई है जो नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 19–04–2024 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि गैत्रो देवी पुत्री श्री तारू, गांव व डाकघर चकलू, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा की जन्म तिथि 19–11–1936 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार)के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका गैत्रो देवी पुत्री श्री तारू, गांव व डाकघर चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 22–04–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————